दिनांक 08.11.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के नगर निगम/नगर परिषद के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ हुई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम माननीय विभागीय मंत्री महोदय से इस बैठक में उपस्थित सभी नगर निगम के नगर आयुक्तों तथा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए अपने इन तीन महीनों के अनुभव को बांटने तथा पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश देने का अनुरोध किया गया। माननीय विभागीय मंत्री महोदय ने अपने इन तीन महीनों के इस काल को संतोषजनक बताते हुए निम्नांकित निदेश दिये है :–

- सभी नगर निकाय मुख्यमंत्री निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु दृढ़ता दिखाएं। वित्तीय नियमावली एवं सरकार के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए सरकारी कार्य में पारदर्शिता लायी जाय।
- राजस्व संग्रह के माध्यम से अपने आन्तरिक संसाधन को सुदृढ़ करते हुए नगर निकाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाय ताकि विभाग पर निर्भरता को धीरे–धीरे समाप्त किया जा सके।
- नगर निकाय में Purchase में Limitation किया जाय। ऐसी जानकारी में मिली है कि 200 रूपये का डस्टबीन 600 में क्रय किया जा रहा है, ये गलत बात है। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे सरकार के उपर उंगली उठे।
- सड़क एवं नाली का Lay out बना कर ही निर्माण कार्य कराया जाय ताकि इसे तोड़ कर दोबारा बनाने की नौबत न आए एवं सरकारी राशि का अधिक व्यय न हो ।
- हमारे शेष मंत्रीत्व काल में आप लोगों के द्वारा सराहणीय कार्य की अपेक्षा है। अच्छे काम करने वाले पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जायेगा।

उक्त निदेश का अनुपालन के निदेश के साथ विभागीय मंत्री महोदय का सम्बोधन धन्यवाद के साथ समाप्त हुआ। तत्पश्चात विभागीय योजनाओं की समीक्षा निम्न प्रकार की गयी :–

होल्डिंग टैक्स

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अधिकांश नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स की वसूली अच्छी स्थिति में नहीं है। अब तब 60 प्रतिशत राजस्व संग्रह होना चाहिए था। होल्डिंग टैक्स वसूली के आधार पर ही बहुत सारी योजनाओं में performance grant दिया जाता है। वर्तमान में पिछले साल की तुलना में 5 से 10 प्रतिशत अतिरिक्त राजस्व का संग्रह होना चाहिए था परन्तु राजस्व संग्रह की खराब स्थिति के आधार पर 142 स्थानीय निकाय में से मात्र 17 स्थायी निकाय को ही performance grant के लिए चुना गया है। इस बैठक में मात्र 0–25 प्रतिशत तक होल्डिंग टैक्स का वसूली किये गये नगर निकायों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में नगर परिषद नरकटियागंज का self assessment मात्र 15 प्रतिशत तथा टैक्स का संग्रहण शून्य पाया गया। निदेश दिया गया कि 2 माह में शत–प्रतिशत टैक्स संग्रहण किया जाय। नगर परिषद, बक्सर का **Total Demand** 1.98 करोड़ (एक करोड़, अन्ठानवे लाख) का है तथा टैक्स का संग्रहण शून्य है। इन्हें भी 2 माह के अन्दर शत–प्रतिशत टैक्स का संग्रह करें तथा विभागीय नोडल पदाधिकारी, नगर परिषद बक्सर के होल्डिंग टैक्स एवं self assessment की समीक्षा करें। नगर परिषद, बेनीपुर का भी टैक्स संग्रहण शून्य है, इन्हें जनवरी 2018 तक शत–प्रतिशत टैक्स संग्रहण कर लेने का लक्ष्य दिया गया। नगर परिषद, अरवल का भी टैक्स संग्रहण शून्य है, इनके द्वारा 2 महीने के अन्दर self assessment का काम पूरा करते हुए बढ़े हुए टैक्स संग्रहण का लिखित सूचना दी जाय। नगर परिषद, जमालपुर का टैक्स संग्रहण मात्र 3.46 प्रतिशत है। इस संबंध में इनके कार्यालय में चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। इन्हें शीघ्र assessment कराने तथा टैक्स संग्रहण में वृद्धि की जाय। नगर परिषद, बख्तियारपुर का assessment पूर्ण हो चुका है, **Total Demand 1.63** लाख का है तथा टैक्स संग्रहण मात्र **8.37** प्रतिशत हुआ है। टैक्स संग्रह को बढ़ाया जाय। नगर परिषद, मोकामा का **Total Demand 342.89** लाख का है तथा टैक्स संग्रहण मात्र 9.78 प्रतिशत ही हुआ है। टैक्स डिफोल्टर की सूची बनाकर कर कार्रवाई की जाय तथा टैक्स संग्रहण में वृद्धि करते हुए अगले माह में 40 प्रतिशत टैक्स वसूली की जाय। नगर निगम, बेगुसराय का **Total Demand 279.69 लाख** का है, जिसमें से वसूली मात्र 30 लाख ही है तथा कर संग्रहण मात्र 10.92 प्रतिशत ही हुआ है। ज्ञात हुआ कि उप विकास आयुक्त, बेगुसराय यहॉ नगर आयुक्त, बेगुसराय के अतिरिक्त प्रभार में हैं और उनके द्वारा नगर निगम में बिल्कुल समय नहीं दिया जा रहा है। टैक्स संग्रहण में वृद्धि करते हुए अगले माह में 30 प्रतिशत वसूली की जाय। साथ निदेश दिया गया कि वैसे नगर निकाय जहॉ के

पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार में हैं एवं कार्यालय में समय नहीं दे पा रहे हैं उस निकाय के नोडल पदाधिकारी एक प्रतिवेदन विभाग को दें ताकि पूर्ण प्रभार के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके। नगर परिषद, मधेपुरा का कार्यपालक पदाधिकारी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं थे। उनसे स्पष्टीकरण पूछे जाने का निदेश दिया गया। नगर परिषद, मसौढ़ी का **Total Demand 232.87 लाख** का है तथा टैक्स संग्रहण मात्र **12.85 प्रतिशत** ही हुआ है। टैक्स संग्रहण में वृद्धि करते हुए इनको नवम्बर माह में 30 प्रतिशत तथा दिसम्बर माह में 40 प्रतिशत वसूली का लक्ष्य दिया गया। नगर परिषद, बिहट का Total Demand 50.31 लाख है तथा टैक्स संग्रहण मात्र 14.65 प्रतिशत ही हुआ है। इस माह में 30 प्रतिशत टैक्स संग्रहण पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया। साथ ही टैक्स जमा नहीं करने पर कुर्की–जब्ती तथा सर्टिफिकेट केस की सूची अगली बैठक में लाने का निदेश सभी नगर निकायों को दिया गया। नगर परिषद, मुंगेर का टैक्स संग्रहण मात्र 16.24 प्रतिशत ही हुआ है, इस माह में 40 प्रतिशत टैक्स संग्रहण पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाय। नगर निगम, कटिहार का टैक्स संग्रहण मात्र 17.79 प्रतिशत हुआ है। बताया गया कि यहॉ गत वर्ष 70 प्रतिशत टैक्स जमा किया गया था, इस माह में कम से कम 40 प्रतिशत टैक्स संग्रहण पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया। इस प्रकार नगर निकाय सीतामढ़ी, जमुई, छपरा, पटना, डिहरी ऑन सोन, तथा मोतिहारी को होल्डिंग टैक्स इस माह में 40 प्रतिशत से उपर जमा करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी)

स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

➢ बैठक में स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत प्रमुख घटक ODF तथा ठोस कचड़ा प्रबंधन (SWM) पर विशेष चर्चा की गयी। नगर आयुक्त, बिहार शरीफ द्वारा जानकारी दी गयी कि बिहार शरीफ नगर निगम को ODF कर लिया गया है, अगले सप्ताह नगर निगम के बोर्ड की बैठक में समीक्षा कर इसे सत्यापित करा लिया जायेगा। नगर परिषद, हाजीपुर को माह नवम्बर के अंत तक ODF किये जाने का लक्ष्य दिया गया था, किन्तु वहॉ अभी कुछ कार्य शेष है। नगर परिषद, हाजीपुर को ODF किये जाने का नया लक्ष्य 26 जनवरी 2018 निर्धारित किया गया है। नगर परिषद, फुलवारीशरीफ में बिना शौचालय के घरों की संख्या 423 है तथा Community Tiolet के लिए टेन्डर किया गया। इसका अनुश्रवण कर शीघ्र ही कार्य पूर्ण करते हुए ODF किये जाने का लक्ष्य दिये जाने का निदेश विभागीय नोडल पदाधिकारी को दिया गया। नगर परिषद, सिवान में माह नवम्बर के अंत तक ODF किये जाने का लक्ष्य दिया गया था, किन्तु वहॉ अभी कुछ कार्य शेष

रहने के कारण 15 दिसम्बर तक कार्य पूर्ण करते हुए ODF करते हुए विभाग को प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया। नगर परिषद, डूमरांव में कुल 26 वार्ड में 22 वार्ड ODF किया जा चुका है। माह नवम्बर के अंत तक ODF किये जाने का निदेश दिया गया। नगर परिषद, जहानाबाद में द्वारा बताया गया कि बालू की किल्लत के कारण शौचालय निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है। एक सप्ताह के अन्दर प्रथम किस्त का भुगतान करते हुए निमार्ण कार्य शुरू कराते हुए 20 नवम्बर तक ODF कराने का निदेश दिया गया तथा नोडल पदाधिकारी को इसका अनुश्रवण करने हेतु कहा गया। नगर परिषद, हिलसा को माह नवम्बर के अंत तक ODF किये जाने का लक्ष्य दिया गया है। बताया गया कि यहॉ प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है। कई जगहों पर Community Tiolet के लिए जमीन चिन्हित कर लिया गया है, अंचालाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना शेष है। निदेश दिया गया कि शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्माण कार्य आरंभ किया जाय। यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने में कोई कठिनाई हो तो जिलाधिकारी से मिलकर बात की जाय। नगर परिषद, सासाराम द्वारा बताया गया 41 का टेण्डर हुआ था, जो फेल कर गया है। यहॉ ग्रामीण क्षेत्र में ODF किया गया है। अतएव शीघ्र ही बोर्ड की बैठक बुलाकर कर short टेण्डर करते हुए ODF किये जाने निदेश दिया गया ताकि ग्रमीण क्षेत्र के साथ–साथ शहरी क्षेत्र में भी ODF हो सके। नगर परिषद, डेहरी डालमियानगर का प्रतिवेदन MIS से प्राप्त प्रतिवेदन से मेल नहीं खा रहा है तथा यहॉ के कार्यापालक पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं है, इनसे कारण पृच्छा की जाय तथा विभाग टीम जो इसी सप्ताह में रोहतास जा रही है, वे सासाराम नगर परिषद में हुए ODF के कार्य का निरीक्षण करेंगे। बैठक में उपस्थित नगर निगम, पटना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कुल 75 वार्ड में 11 वार्ड ODF हुआ है तथा 10920 IHHL बनाने का लक्ष्य है। अतिरिक्त प्रयास करते हुए इस माह में 10 अतिरिक्त वार्ड ODF करने का निदेश दिया गया। समीक्षा में नगर परिषद, फतुहा, मोतिहारी एवं नरकटियागंज की प्रगति काफी असंतोषजनक पाया गया, अतएव इस माह में डाटा तुरंत इडीटींग कराने, शत प्रतिशत IHHL बनाने एवं प्रथम किस्त के भुगतान कर निमार्ण कार्य आरंभ कराते हुए अगली बैठक में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। नगर परिषद, बगहा की प्रगति भी काफी असंतोषजनक पाया गया, क्योंकि डाटा सुधारने के बाद यहॉ 8908 IHHL बनाने का लक्ष्य है, जिसमें मात्र 3400 को क्रयादेश निर्गत किया है, सिर्फ 14 प्रतिशत को ही प्रथम किस्त का भुगतान किया गया। अतएव कार्यपालिक पदाधिकारी, बगहा से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मॉग की जाय। नगर परिषद, शेखपूरा की प्रगति धीमी है, यहॉ डाटा सुधार के बाद 2629 IHHL बनाने का लक्ष्य है। प्रगति में सुधार लाते हुए एक सप्ताह में प्रतिवेदन दें। नगर

परिषद, बरबीघा में उपलब्धि सिर्फ 14.25 प्रतिशत है, यहॉ डाटा एडिटिंग में परेशानी हो रही है। डाटा इटिडिंग के प्रशिक्षण के लिए अपने कर्मी को विभाग में भेजा जाय। नगर परिषद, खगड़िया द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में अस्पष्टता है, नोडल पदाधिकारी जाकर मामले की समीक्षा करें। नगर परिषद, कटिहार द्वारा सूचना की गयी कि वहॉ इस माह 9 वार्ड ODF हो जायगा तथा Community Tiolet के लिए टेण्डर की प्रक्रिया में है। एक सप्ताह में टेण्डर कराकर सूचित करें। नगर परिषद, फारबिसगंज एवं बेनीपुर में editing एवं achievment असंतोषप्रद है, इनसे कारण पृच्छा की जाय। नगर परिषद, समस्तीपुर 3 दिनों में editing का कार्य पूर्ण कर लें। नगर परिषद, मधेपूरा में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहॉ शीघ्र ODF किया जाय। जिन नगर निकायों में डाटा मैच नहीं कर रहा है वहॉ ऑन लाईन इडिटिंग करायी जाय।

➢ बैठक में स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत प्रमुख घटक ठोस कचड़ा प्रबंधन (SWM) पर चर्चा की गयी, जिसमें बताया गया कि 5 नगर निकायों हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया है। नगर निगम, मुजफ्फरपुर में Landfill site को विकसित करना है, मशीन, ट्रेक्टर, ट्रॉली आदि खरीद कर अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करें। नगर परिषद, सिवान में ठोस कचड़ा प्रबंधन के क्षेत्र को कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ है, कार्य शीघ्र आरंभ करवायें। नगर परिषद, बेतिया द्वारा वर्क प्लान दिया जा रहा है, किन्तु डी०पी०आर० बनाने का टेण्डर अभी तक नहीं हुआ है, शीघ्र टेण्डर का कार्य आरंभ किया जाय तथा इसे नोडल पदाधिकारी देखें। इसी तरह नगर परिषद, कटिहार में SWM हेतु डी०पी०आर० बनाकर टेण्डर करना होगा, नोडल पदाधिकारी इसे भी देखें और काम शुरू करवायें। नगर निगम, गया के प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित नहीं है, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी)

Housing for All

➢ सबके लिए आवास योजना की समीक्षा की गयी। नगर परिषद, अररिया– फेज–3 में एम०आई०एस० इन्ट्री, आधार लिंक शून्य है तथा एनेक्चर–7 सी० भी संलग्न नहीं है। नगर परिषद, औरंगाबाद– फेज–2 में निर्गत कार्यादेश की संख्या, गड्ढा खोदाई, प्रथम किस्त भुगतान की स्थिति शून्य है। नगर परिषद बाढ़ में फेज–2 में मोबाईल रजिस्टर, एम०आई०एस० इन्ट्री एवं आधार लिंक शून्य है, इसे शीघ्र किया जाय। नगर परिषद बेनीपुर, नगर निगम गया, नगर परिषद, हाजीपुर, नगर

परिषद जमुई में फेज–3 की स्थिति शून्य है, एम०आई०एस० इन्ट्री, आधार लिंकेज तथा एकाउंट लिंकेज करवाइये। नगर परिषद, बिहट में फेज–2 में आधार लिकेंज में कुछ नहीं हुआ है। नगर परिषद बक्सर में फेज–2 एवं फेज–1 तथा नगर परिषद लखीसराय में फेज–2 की उपलब्धि खराब है इसे शीघ्र करवाइये। नगर परिषद मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, नवादा तथा रक्सौल फेज–2 में एम०आई०एस० इन्ट्री की संख्या बढ़ाइये। नगर परिषद सुलतानगंज, फेज–2 में एम०आई०एस० इन्ट्री की संख्या बढ़ाइये, यहॉ के कार्यपालक पदाधिकारी इस बैठक में अनुपस्थित हैं इनसे स्पष्टीकरण पूछा जाय। सभी नगर निकाय को निदेश दिया गया कि कागजात पूर्ण होने पर ही अभिलेख खोला जाय, योजना के कार्य में प्रगति लायी जाय तथा विहित प्रपत्र में दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। अधिकांश नगर निकायों में इस योजना की प्रगति असंतोषजनक है। अभियान चलाकर माह दिसम्बर तक सभी स्वीकृत आवासीय इकाईयों में निर्माण कार्य आरंभ किया जाय तथा जिन आवासीय इकाई में निर्माण कार्य प्रारंभ कराना संभव नहीं हो, तो उसे कारण अंकित करते हुए निकाय के बोर्ड से पारित कराकर दिनांक 30/11/2017 तक राशि प्रत्यर्पित कर दिया जाय।

➢ सभी नगर निकाय को जनकारी दी गयी कि Plan of Action एवं Annual Implementation Plan के लिए कलस्टर–01 (पटना जिला) को विभागीय पत्रांक 2162 दिनांक 20/09/2017, कलस्टर–02 (नालंदा एवं भोजपुर जिला) को विभागीय पत्रांक 84 दिनांक 13/01/2017, कलस्टर–03 (रोहतास, बक्सर एवं कैमूर जिला) को विभागीय पत्रांक 83 दिनांक 13/01/2017, कलस्टर–04 (पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण जिला) को विभागीय पत्रांक 2284 दिनांक 06/10/2017, कलस्टर–05 (मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर एवं वैशाली जिला) को विभागीय पत्रांक 85 दिनांक 13/01/2017, कलस्टर–06 (सारण, सिवान एवं गोपालगंज जिला) को विभागीय पत्रांक 86 दिनांक 13/01/2017, कलस्टर–08 (सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णियॉ, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज जिला) को विभागीय पत्रांक 2283 दिनांक 06/10/2017, कलस्टर–09 (भागलपुर, बॉका एवं बेगूसराय जिला) को विभागीय पत्रांक 2276 दिनांक 06/10/2017, कलस्टर–10 (मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा एवं खगड़िया जिला) को विभागीय पत्रांक 2307 दिनांक 11/10/2017 तथा कलस्टर–11 (गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं अरवल जिला) को विभागीय पत्रांक 2275 दिनांक 06/10/2017 द्वारा निदेश दिया गया है। पूरे राज्य में 11 कलस्टर में विभाजित कर Plan of Action एवं Annual Implementation Plan बनाने में आपकी सहायता करने के लिए परामर्शी संस्था को लगाया गया है। इस समीक्षा बैठक में विभिन्न परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। समीक्षा में पाया गया कि कलस्टर 1 के अन्तर्गत पटना

जिला में वार्ड सभा के आयोजन की तिथि निर्धारित की गयी है। नालंदा एवं भोजपुर में कुछ समस्याएँ है, जिसे परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि मिलकर समस्या का समाधान करायें। हिलसा, रोहतास, बक्सर, कैमूर, बक्सर, भभुआ में कोई वार्ड सभा नहीं हुआ है। जहाँ वार्ड सभा नहीं हुआ है, वहाँ से संबंधित परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि कार्यपालक पदाधिकारी से सम्पर्क कर वार्ड सभा करावें। गोपालगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को सूचना मिली है कि परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा फार्म भरने में पैसे की मॉग की जाती है, ऐसी शिकायत मिलने पर जॉच कर तुरंत एफ०आई०आर० दायर करें। बार–बार सूचित करने के बावजूद कार्यपालक पदा०, गोपालगंज द्वारा वार्ड सभा के रोस्टर का निर्धारण नहीं किया गया है, यह अत्यंत चिंताजनक तथा आदेश की अवहेलना है। इनसे स्पष्टीकरण की मॉग की जाय। निदेश दिया गया कि चयनित परामर्शी से अपने निकाय का HFAPOA तैयार कराकर, बोर्ड से पारित कराकर दिनांक 15/12/2017 तक निश्चित रूप से भेज दें। HFAPOA तैयार कराने के क्रम में वार्ड सभा का भी आयोजन कराया जाय। इसके लिए वार्ड सभा का रोस्टर निर्धारित किया जाय। वार्ड सभा में परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि के साथ–साथ निकाय के प्रतिनिधि को भी उपस्थिति अनिवार्य होगा।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी)

ISHDP

➢ पूर्व में कई बार बताया जा चुका है कि यह योजना 31/03/2017 को समाप्त कर दी गयी है, इसमें आगे अब कोई काम नहीं करना है तथा जो काम नहीं हुआ है उसकी राशि वापस कर दी जाय। राज्य योजना को भी बन्द कर राशि डिपोजिट हेड में जमा करा दिया जाय। चालू योजना में अब राशि नहीं मिलेगी।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी)

RAY(Rajiv Awas Yojna)

➢ पटना नगर निगम, दरभंगा नगर निगम, कटिहार नगर निगम तथा पूर्णिया नगर निगम में इस योजना में अभी भी काफी आवासीय इकाई में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया जा सका है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। निदेश दिया गया कि सभी Non stated आवासीय इकाई में माह दिसम्बर 2017 तक निर्माण कार्य प्रारंभ करायी जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी)

DAY-NULM

➢ EST&P घटक :– जिन नगर निकायों में बिहार कौशल विकास अन्तर्गत एस०डी०सी० की सूची भेजी गयी है, वहॉ संस्थाओं के साथ एकरारनामा कर शीघ्र प्रतिवेदन विभाग में प्रतिवेदन भेजें तथा प्रशिक्षण कार्य आरंभ करया जाय। आरा, औरंगाबाद, खगड़िया नगर निकाया में प्रशिक्षण कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है, शीघ्र आरंभ कराया जाय। दरभंगा में प्रशिक्षण आरंभ है। इसी प्रकार बेगुसराय एवं गोपालगंज नगर निकाय में एकरारनामा की सूचना अप्राप्त है, शीघ्र सूचना भेजी जाय। बिहारशरीफ में 3 संस्थानों में से 1 के साथ एकरारनामा, दानापुर में 2 एवं बक्सर में 4 संस्थानों के साथ, गया में 6 संस्थानों में से 4 के साथ एकरारनाम हुआ। नगर परिषद, हाजीपुर में 7 संस्थानों में से 5 संस्थानों के साथ एकरारनामा किया गया, किन्तु प्रशिक्षण कार्य अभी तक एक ही संस्थान में आरम्भ हुआ है। बताया गया कुछ प्रशिक्षण संस्थान शहरी क्षेत्र से बाहर अवस्थित है। हाजीपुर में स्थित सी–पैट में प्रशिक्षण कार्य आरम्भ है एवं वहॉ के लगभग सभी प्रशिक्षणार्थियों का कहीं न कही प्लेसमेंट हो गया है। निदेश दिया गया कि हाजीपुर के साथ ही अन्य नगर परिषद के युवक–युवतियों को सी–पैट हाजीपुर से ही प्रशिक्षण कार्य की व्यवस्था की जाय। निदेश दिया गया कि जिन संस्थानों द्वारा इसमें अभिरूचि नहीं ली जा रही है अथवा किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा संस्थानों का शहरी आबादी से काफी दूर होने पर उन्हें वापस लौटा दिया जाय। यह भी ध्यान रहे कि प्रशिक्षण के उपरांत 70 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का कौशल प्रशिक्षण प्रदायी संस्था से नियोजन कराया जाय।

➢ SM&ID घटक :–Self Help Group के गठन के मामले में प्रगति धीमी है। प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार बगहा, बाढ़ बेनीपुर, भभुआ, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, दरभंगा, खगड़िया, किशनगंज, मोतिहारी, मुंगेर, नरकटियागंज, सुलतानगंज, समस्तीपुर आदि नगर निकायों की प्रगति शून्य है एवं कुछ नगर निकायों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि शीघ्र प्रतिवेदन भेजें तथा भारत सरकार के एम०आई०एस० पोर्टल पर इन्ट्री करायें। अधिकांश नगर निकायों में Revoving Fund की स्थिति शून्य है, इसपर ध्यान देने की अवश्यकता है। स्वच्छता एक्सेलेंस अवाई के तहत निबंधित ALO का चयन कर नॉमिनेशन कर विभाग को भेजें, ताकि पुरस्कार हेतु सूची भारत सरकार को भेजी जा सके।

➢ SEP घटक :– इस घटक में बाढ़, बिहारशरीफ, बीहट, डूमरांव, जहानाबाद, खगौल, किशनगंज, मसौढ़ी, मोकामा, नरकटियागंज, फुलवारीशरीफ, रक्सौल, सीवान तथा सुल्तानगंज नगर निकायों का निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति शून्य है एवं अन्य नगर निकायों में भी प्रगति धीमी है,जबकि 7–8 माह बीत चुके हैं। निदेश दिया गया कि टास्क फोर्स की बैठक महीना में 2 बार आवश्यकर करा लें तथा प्राप्त एपलीकेशन बैंक को शीघ्र भेजें।

➢ SUH घटक :– आश्रय स्थल के निर्माण के प्रगति की समीक्षा की गयी। बताया गया कि औरंगाबाद, गोपालगंज आरा, सीवान नगर निकाय में आश्रम स्थल के निर्माण हेतु जमीन का चयन कर लिया गया है, अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। निदेश दिया गया कि जैसे ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलता है वहॉ पर नये प्राक्कलन के अनुसार टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से निमार्ण कार्य आरम्भ कर दें। जहाँ किसी कारणवश कार्य नहीं हो पा रहा है वहाँ सकारण राशि लौटा दी जाय। अरवल, शेखपूरा, सुपौल में आश्रय स्थल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। निदेश दिया गया कि शीघ्र आरम्भ करवायें। साथ ही city livelihood centre भी उसी में चलाया जा सकता है। बेतिया, भागलपुर, बक्सर नगर निकाय में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ, शीघ्र पूरा किया जाय। भभुआ में आश्रय स्थल का तीसरा तल्ला का कार्य पूर्ण हो गया है। इसे इस महिने के अंत कर आरंभ करावें। जमुई, जहानाबाद, लखीसराय में द्वितीय तल्ला का कार्य चल रहा है। कटिहार में दो महीने में आश्रय स्थल आरम्भ हो जायेगा। जिन नगर निकायों में फुथ–पाथ पर सोने वालों का सर्वेक्षण किया जाना था वहॉ शीघ्र सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन से अवगत कराया जाय। हर नगर निकाय आवश्यकतानुसार कम से कम 1 आश्रय स्थल के निर्माण का प्रस्ताव भेजें। जिन नगर निकाय में आश्रय स्थल जर्जर स्थिति में है उसके जिर्णोद्वार हेतु प्रस्ताव भेजी जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदा०)

हर घर नल–जल

➢ हर घर नल का जल योजना की समीक्षा के क्रम में विभिन्न नगर निकायों के स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :–

1 **नगर परिषद, बाढ़** :– नगर परिषद द्वारा 10 वार्ड में कार्य कराया जा रहा है, अब तक कुल 501 गृह, जल संयोजन हुआ है। शेष वार्ड में PHED द्वारा कार्य हो रहा है।

2 **नगर निगम बिहारशरीफ** :– यह शहर AMRUT योजना के अन्तर्गत चयनित है। न्यायालय में वाद के कारण कार्य रूका हुआ है।

3	**दानापुर नगर परिषद**	:–	BUIDCO द्वारा गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण किया जाना है।
4	**बक्सर नगर परिषद**	:–	AMRUT योजना के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है।
5	**जहानाबाद नगर परिषद**	:–	AMRUT योजना के अन्तर्गत BRJP द्वारा कार्य प्रगति पर, गृह जल संयोजन हो रहा है।
6	**नगर परिषद, खगौल**	:–	कुल 27 वार्ड में बुडको द्वारा कार्योंपरान्त शेष 1331 गृह जल संयोजन की कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जा रही है।
7	**नगर परिषद, मसौढ़ी**	:–	कुल 25 वार्डों में BRJP द्वारा कार्य हो रहा है। निदेश दिया गया है कि 25 वार्डों में सम्पूर्ण गृह जल संयोजन BRJP द्वारा ही किया जाएगा। 1 वार्ड में नगर परिषद द्वारा निविदा की प्रक्रिया की गयी है।
8	**नगर परिषद, मोकामा**	:–	कुल 28 वार्डों में 23 वार्ड की निविदा कार्य पूर्ण है, कार्य प्रारम्भ है।
9	**नगर परिषद, फुलवारीशरीफ**	:–	बुडको द्वारा कार्य किया गया है। शेष गृह जल संयोजन हेतु टावर न लगाकर सबमरसिबुल पम्प द्वारा ही कार्य पूर्ण कराने हेतु निदेश दिया गया।
10	**नगर परिषद, बख्तियारपुर**	:–	कुल 27 वार्ड में से 10 वार्ड में पहले से PHED द्वारा कार्य कराया गया। 2 वार्ड में नगर परिषद से कार्य चल रहा है। शेष 13 वार्ड निविदा के प्रक्रियाधीन है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु निदेश दिया गया।
11	**हिलसा नगर परिषद**	:–	3 वार्ड में कार्य प्रारम्भ, 7 वार्ड निविदा के प्रक्रियाधीन एवं शेष 16 वार्ड में PHED द्वारा कार्य कराया गया है।
12	**इस्लामपुर नगर परिषद**	:–	15 वार्ड में BRJP द्वारा कार्य कराया जा रहा है। 4 वार्ड में निविदा की कार्रवाई सम्पन्न।
13	**नगर परिषद, रक्सौल**	:–	8 वार्ड में BRJP द्वारा कार्य कराया गया, 11 वार्ड में नगर परिषद द्वारा निविदा प्रक्रियाधीन। शेष 6 वार्ड में प्राक्कलन गठित हो रहा है।
14	**नगर परिषद, नरकटियागंज**	:–	कुल 25 वार्डों में से 5 वार्ड निविदा की प्रक्रियाधीन। शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। 2 वार्ड रेलवे के अन्तर्गत है। कार्य में प्रगति लाने हेतु निदेश दिया गया।
15	**नगर परिषद, जमुई**	:–	सभी वार्ड में निविदा की प्रक्रिया पूर्ण, कार्यादेश निर्गत हो गया है। कार्य प्रारम्भ अविलंब करने हेतु निदेश दिया गया।
16	**नगर परिषद, शेखपुरा**	:–	13 वार्ड में निविदा कार्य प्रक्रियाधीन, 4 वार्ड में कार्य प्रारम्भ। 14 वार्ड में पुनर्निविदा निकाली गयी है।

17 **नगर परिषद, खगड़िया** :– 26 वार्ड में निविदा कार्य प्रक्रियाधीन। तुलनात्मक विवरणी बनाया जा रहा है। कार्य में प्रगति लाने हेतु निदेश दिया गया।

18 **नगर परिषद, नवादा** :– 20 वार्ड में BRJP द्वारा कार्य कराया जा रहा है, अभी तक कोई गृह जल संयोजन नहीं हुआ है। शेष 13 वार्ड में से 5 वार्ड में कार्यादेश निर्गत। 2 वार्ड में पुनर्निविदा एवं शेष का प्राक्कलन गठन कार्य हो रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि स्टेट प्लान के अन्तर्गत BRJP को 25 वार्ड में सम्पूर्ण कार्य करना है एवं शेष वार्ड में ही नगर परिषद कार्य करें, इसकी जाँच कर अविलंब प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया ताकि ओभरलेपिंग न हो सके।

19 **नगर परिषद, बेनीपुर** :– 15 वार्ड में निविदा कार्य प्रक्रियाधीन, 8 वार्ड में कार्य प्रारम्भ, 3 वार्ड में पुनर्निविदा शेष, 14 वार्ड का प्राक्कलन गठित किया जा रहा है। कार्य में तेजी लाने हेतु निदेश दिया गया।

20 **नगर परिषद, मधुबनी** :– 21 वार्ड में निविदा कार्य पूर्ण एवं कार्य प्रारम्भ। शेष 9 वार्ड निविदा के प्रक्रिया में है।

21 **नगर परिषद, समस्तीपुर** :– 20 वार्ड में BRJP द्वारा स्टेट प्लान के अन्तर्गत कार्य कराया जा रहा है। 2 वार्ड रेलवे के अधीन है। शेष वार्ड में नगर निकाय द्वारा निविदा कार्य एवं प्राक्कलन का गठन कार्य प्रक्रियाधीन।

22 **नगर परिषद, सुल्तानगंज** :– स्टेट प्लान के अन्तर्गत BRJP को 12 वार्ड में पूर्ण कार्य करना है। BRJP द्वारा कार्य किया जा रहा है। 4 वार्ड में नगर परिषद द्वारा कार्य किया जा रहा है। शेष वार्ड में PHED द्वारा कार्य हो रहा है। कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

23 **नगर परिषद, सुपौल** :– स्टेट प्लान के अन्तर्गत 16 वार्ड में BRJP का सम्पूर्ण कार्य करना है, शेष वार्डों में ही नगर परिषद द्वारा कार्य होना है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा 10 वार्ड कार्यादेश निर्गत किया गया है, परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

24 **नगर परिषद, मधेपरा** :– 13 वार्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत BRJP का सम्पूर्ण कार्य करना है। नगर परिषद, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 7 वार्ड में कार्य प्रारम्भ एवं 6 वार्ड में निविदा प्रक्रियाधीन।

25 **नगर परिषद, फतुहा** :– कुल 23 वार्डों में से 15 वार्ड में BRJP का राज्य योजना के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है। शेष वार्ड में नगर परिषद द्वारा कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

26 **नगर परिषद, बक्सर** :– AMRUT योजना एवं राज्य योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण कार्य BRJP द्वारा किया जाना है। BRJP द्वारा कार्य किया जा रहा है, परन्तु प्रगति धीमा है।

27 **नगर परिषद, डुमरॉव** :– नगर परिषद अधीन सभी 26 वार्ड में BRJP द्वारा सम्पूर्ण कार्य किया जाना है। BRJP द्वारा कार्य प्रगति में है।

28 **भभुआ, नगर परिषद** :– नगर परिषद द्वारा बताया गया कि सभी 25 वार्ड में निविदा प्रक्रियाधीन है।

29 **ससाराम, नगर परिषद** :– AMRUT योजना के अन्तर्गत चयनित BRJP द्वारा कार्य किया जा रहा है।

30 **नगर परिषद, सीतामढ़ी** :– राज्य योजना के अन्तर्गत सभी 28 वार्डों में BRJP द्वारा कार्य किया जाना है। ऐसा निदेश कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि वार्ड 9, 21, 22 में इनके द्वारा निविदा निकाला गया है।

31 **नगर परिषद, बीहट** :– कुल 30 वार्ड में 16 वार्ड में निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है। शेष में गठन का कार्य।

32 **नगर परिषद, जमालपुर** :– सम्पूर्ण कार्य AMRUT योजना के अन्तर्गत **BRJP** द्वारा होना है।

33 **नगर परिषद, लखीसराय** :– PHED के 2 ओभर हेंड टैंक द्वारा 3200 गृह जल संयोजन किया गया है, 4 वार्ड में नगर परिषद द्वारा निविदा निकाली जा रही है।

34 **नगर निगम, गया** :– निगम के अन्तर्गत सभी वार्डों में ADB द्वारा सम्पोषित योजना से कार्य होना है।

35 **नगर परिषद, औरंगाबाद** :– AMRUT योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण कार्य BRJP द्वारा किया जाना है। BRJP द्वारा 2 ओभरहेड टैंक पर कार्य चल रहा है।

36 **नगर परिषद, दाउदनगर** :– राज्य योजना के अन्तर्गत कुल 18 वार्ड में सम्पूर्ण कार्य BRJP द्वारा किया जा रहा है, शेष 5 वार्ड में नगर परिषद द्वारा कार्य होना है।

37 **नगर परिषद, अरवल** :– 1 वार्ड में BRJP द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ है। शेष वार्ड में से 16 वार्ड का निविदा नगर परिषद द्वारा निकाला गया है।

38 **नगर निगम, पूर्णियाँ** :– AMRUT योजना के अन्तर्गत सभी वार्ड में BRJP द्वारा कार्य किया जाना है।

39	**नगर परिषद, अररिया**	:–	निविदा सभी 29 वार्डों में राज्य योजना के अन्तर्गत BRJP द्वारा सम्पूर्ण कार्य कराया जाना है।
40	**नगर परिषद, फारबिसगंज**	:–	8 वार्ड निविदा के प्रक्रियाधीन एवं शेष 17 वार्ड में स्थल चयन किया जा रहा है।
41	**नगर परिषद, सहरसा**	:–	AMRUT योजना के अन्तर्गत सभी वार्ड में कार्य होना है, BRJP द्वारा कार्य प्रारम्भ है एवं 2 ओभरहेड टैंक बना दिया गया है।
42	**नगर परिषद, सिवान**	:–	नगर परिषद, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि AMRUT योजना के अन्तर्गत चयनित इस शहर में BRJP द्वारा कार्य प्रारम्भ है, परन्तु प्रगति धीमा है।
43	**नगर निगम, छपरा**	:–	AMRUT योजना के अन्तर्गत BRJP द्वारा कार्य प्रारम्भ है।
44	**नगर परिषद, मोतिहारी**	:–	AMRUT योजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन किया जाना है।
45	**नगर परिषद, हाजीपुर**	:–	AMRUT योजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन किया जाना है।
46	**नगर परिषद, बगहा**	:–	AMRUT एवं राज्य योजना के अन्तर्गत BRJP द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
47	**आरा नगर निगम**	:–	AMRUT योजना के अन्तर्गत BRJP द्वारा कार्य होना है।
48	**नगर निगम, कटिहार**	:–	AMRUT योजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन किया जाना है।
49	**नगर निगम, बेगूसराय**	:–	AMRUT योजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन किया जाना है।
50	**नगर निगम, बेगूसराय**	:–	AMRUT योजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन किया जाना है।
51	**नगर निगम, मुंगेर**	:–	AMRUT योजना के अन्तर्गत BRJP द्वारा कार्य हो रहा है।
52	**नगर परिषद, किशनगंज**	:–	AMRUT योजना के अन्तर्गत BRJP द्वारा सभी वार्ड में कार्य किया जाना है।
53	**नगर निगम, भागलपुर**	:–	ADB सम्पोषित योजना के अन्तर्गत बुडको द्वारा कार्य प्रारम्भ है।

सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि MIS का नया प्रपत्र भेजा जा रहा है, जिसमें साप्ताहिक प्रतिवेदन online भेजना सुनिश्चित करें। जहाँ–जहाँ सेल्फ बोरिंग है, वहाँ गृह जल संयोजन नहीं किया जाए तथा इसका सर्वेक्षण कर अविलंब प्रतिवेदित किया जाय ताकि लक्ष्य में से इसे विलोपित किया जा सके। श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि बिहार राज्य जल पर्षद से समन्वय स्थापित कर ससमय समस्याओं का समाधान निकाल कर लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। बैठक में यह भी निदेश दिया गया कि बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा राज्य योजना एवं AMRUT योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के जिन–जिन वार्डों में कार्य किया जा रहा है, उन सभी वार्डों में उनके द्वारा सम्पूर्ण कार्य किया जाएगा।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी)

प्रशासनिक भवन/अशोक सम्राट भवन

अशोक सम्राट भवन निर्माण के पूर्णियाँ नगर निगम द्वारा निविदा कर दिया गया। अद्यतन स्थिति हेतु नगर आयुक्त को शीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। बेगुसराय नगर निगम द्वारा प्रस्ताव डुडा को भेजा गया है, दरभंगा, किशनगंज एवं मुंगेर द्वारा बताया गया कि डी0पी0आर, तकनीकी स्वीकृति हेतु विभाग में भेजा गया है एवं तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त इस वर्ष निविदा कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। भागलपुर द्वारा बताया गया कि निविदा हो गया है, वित्तीय बीड का मूल्यांकन किया जा रहा है। नरकटियागंज में जमीन उपलब्ध है, निर्माण के लिए प्रस्ताव समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया। बिहारशरीफ नगर निगम के भवन निर्माण हेतु शीघ्र पुनर्निविदा निकालने हेतु निदेश दिया गया। मोतिहारी नगर परिषद द्वारा इस कार्य हेतु निविदा निकाल दिया गया। बेतिया द्वारा निविदा प्रकाशनार्थ भेजा गया है। अरवल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए, उनसे स्पष्टीकरण पूछने हेतु निदेश दिया गया।

कुछ नगर निकायों द्वारा जानकारी दी गई कि, प्रशासनिक भवन बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है, वैसे नगर निकायों को अविलम्ब प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया ताकि अग्रत्तर निर्णय लिया जा सके। प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु तकनीकी कोषांग से सम्पन्न स्थापित कर T.S एवं C/S के अविलंब निष्पादन हेतु कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया गया। ग्राहक सेवा केन्द्र का निर्माण अवश्य करने का निदेश दिया गया, जिसके नं0–8 काउंटर की व्यवस्था हो।

अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/मुख्य अभियंता (नगर विकास विभाग)

अन्यान्य

- नगर प्रबंधकों की बहाली हेतु प्रस्ताव कर्मचारी चयन आयोग से स्थानांतरित कर तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाय।
- नगर विकास एवं आवास विभाग में सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति हेतु पथ निर्माण विभाग को पत्र लिखा जाय।
- नगर निकायों में यदि CCTV कैमरा लगाने की जिम्मेवारी दी जाती है तो इसके लगाने में पारदर्शिता अपनाई जाय।

➢ नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, जिनका प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाय।

(अनुपालन–निदेशक, नगरपालिका प्रशासन)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई। 17/11/2017

(श्री चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 7445 / न0वि0एवंआ0 विभाग / पटना, दिनांक 20/11/17

प्रतिलिपि– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित। 17/11/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 7445 / न0वि0एवंआ0 विभाग / पटना, दिनांक 20/11/17

प्रतिलिपि–सभी नगर निगम/नगर परिषद के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 17/11/2017

प्रधान सचिव